



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 जनवरी, 2000

पौष 21, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या : 112/सत्रह-वि-1-1(क)1-2000

लखनऊ, 11 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 10 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिए जायेंगे, अर्थात्:—

“परन्तु जहां किसी ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग ‘ग’ में विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है।”

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:

“(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची के भाग ‘ख’, भाग ‘ग’ या भाग ‘घ’ में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।”

3—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) भाग ‘ख’ और भाग ‘ग’ के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

भाग ‘ख’

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें

एक बार देय कर की दर (रुपये में)

क्रम-संख्या	भाग ‘क’ के अनुच्छेद के अनुसार मोटर यान	वर्ष 1987 में और पहली जनवरी, 1988 को या उसके पश्चात् और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के दिनांक को या उसके पश्चात्	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1988 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1989 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1990 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1991 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1992 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1993 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1994 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1995 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1996 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1997 में रजिस्ट्रीकृत
1	एक (1)	800.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2	एक (2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00
3	दो (1) यान के मूल्य का 2.5%	4589.00	4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00	1720.00	1311.00	900.00	480.00	250.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	दो (2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5	तीन (1) (क) यान के मूल्य का 2.5%		5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6	तीन (1) (ख) यान के मूल्य का 2.5%		7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7	तीन (1) (ग) यान के मूल्य का 2.5%		10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00
8	तीन (1) (घ) यान के मूल्य का 2.5%		12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	5401.00	3400.00	2299.00	1198.00
9	तीन (1) (ङ) यान के मूल्य का 2.5% और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये		12209.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	11108.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	10007.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	8906.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	7805.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	6703.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	5602.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	5401.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	3400.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	2299.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	1198.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये
10	तीन (2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00

परन्तु यह कि भाग "क" के अनुच्छेद दो (1), तीन (1) (क), तीन (1) (ख), तीन (1) (ग), तीन (1) (घ) और तीन (1) (ङ) से आच्छादित और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत यानों पर एक बार देय कर की दर 5000.00 रुपये से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् —

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्ण न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति :

परन्तु यह भी कि डीजल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी।

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन (एक बार देय कर से भिन्न) कर की दरें

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	कर की वार्षिक दर (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	90.00
2	एक (2)	150.00
3	दो (1)	500.00
4	दो (2)	55.00
5	तीन (1) (क)	528.00
6	तीन (1) (ख)	748.00
7	तीन (1) (ग)	1034.00
8	तीन (1) (घ)	1210.00
9	तीन (1) (ङ)	1210.00
		और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 484.00 रुपये
10	तीन (2)	110.00

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् —

(क) एकल व्यक्ति;

(20)

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर-निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति :

परन्तु यह और कि डीजल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी।

4—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में भाग "क" और भाग "ख" के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिये जाएंगे, अर्थात्:—

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

भाग "क"

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम-संख्या	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	मोटर यान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	3.00
2	एक (2)	5.00
3	दो (1)	20.00
4	दो (2)	2.00
5	तीन (1) (क)	24.00
6	तीन (1) (ख)	34.00
7	तीन (1) (ग)	47.00
8	तीन (1) (घ)	55.00
9	तीन (1) (ङ)	55.00
		और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 22.00 रुपये
10	तीन (2)	5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटर यानों जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, के सम्बन्ध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दोगुनी होगी।

भाग "ख"

धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपयों में) यदि यानों की आयु उसके मूल रजिस्ट्रिकरण के माह से

क्रम-संख्या	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	एक वर्ष से अधिक न हो	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अधिक न हो	चार वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से अधिक न हो	पाँच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अधिक न हो	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अधिक न हो	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक न हो	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो	दस वर्ष से अधिक किन्तु न्यारह वर्ष से अधिक न हो	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एक (1)	475.00	317.00	158.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक (2)	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	168.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	दो (1)	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00	शून्य
4	दो (2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	शून्य
5	तीन (1) (क)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	शून्य
6	तीन (1) (ख)	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	शून्य
7	तीन (1) (ग)	9486.00	7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	शून्य
8	तीन (1) (घ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य
9	तीन (1) (ङ)	11108.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 4453.00	10007.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 4017.00	8906.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 3582.00	7805.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 3146.00	6703.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 2710.00	5602.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 2275.00	4501.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 1839.00	3400.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 1404.00	2299.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 968.00	1198.00 और 5000 किन्तु ग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किन्तु ग्राम या उसके भाग के लिए 532.00	शून्य
10	तीन (2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	शून्य

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के सम्बन्ध में जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होगी।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

No. 112(2)/XVII-V-1-1(KA)/2000

Dated Lucknow, January 11, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 10, 2000.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION

(AMENDMENT) ACT, 2000

(U.P. ACT NO. 4 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:--

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2000.

Short title

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, hereinafter referred to as the principal Act,--

Amendment of section 4 of the U.P. Act no. 21 of 1997

(a) In sub-section (1), for the existing proviso the following provisos shall be substituted, namely :--

"Provided that where a one-time tax in respect of any such Motor Vehicle has been paid before the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2000 and such Tax has not been refunded under sub-section (5) of section 12, no tax under this sub-section shall be payable in respect thereof after such commencement :

Provided further that in respect of an old Motor Vehicle instead of a one-time tax, annual tax applicable to such motor vehicle, as specified in Part 'C' of the First Schedule may be paid."

(b) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely :--

"(4) The State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent. the rates of tax, specified in Part 'B', Part 'C' or Part 'D' of the First Schedule."

(23)

3. In the First Schedule to the principal Act,—

(a) for Part "B" and Part "C", the following Parts shall be substituted, namely:—

"PART "B"

Rates of one time tax on vehicles under sub-section (1) of Section 4

Serial no.	Vehicle according to the Articles of part "A"	Rates of one time tax in rupees														
		Registered on or after the date of the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997	Registered in the year, 1985	Registered in the year, 1984	Registered in the year, 1983	Registered in the year, 1982	Registered in the year, 1981	Registered in the year, 1980	Registered in the year, 1979	Registered in the year, 1978	Registered in the year, 1977	Registered or prior thereto				
1	I(1)	800.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2	I(2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
3	II(1)	2.5% of the cost	4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00	73.00	484.00	484.00
4	II(2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	484.00	484.00	484.00
5	III(1)(a)	2.5% of cost of the vehicle	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	484.00	484.00	484.00
6	III(1)(b)	2.5% of cost of the vehicle	7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	774.00	774.00	774.00
7	III(1)(c)	2.5% of cost of the vehicle	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	992.00	992.00	992.00
8	III(1)(d)	2.5% of cost of the vehicle	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	1198.00	1198.00	1198.00
9	III(1)(e)	2.5% of cost of the vehicle	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	1198.00	1198.00	1198.00
		Plus 4888.00 for every 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	4888.00	4453.00	4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00	1839.00	1404.00	968.00	532.00	532.00	532.00	532.00
		Plus 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Plus 1000 Kilograms or part thereof in excess of 5000 Kilograms	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	III(2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	145.00	145.00	145.00

Provided that the rate of one time tax on vehicles covered by Article II (1), III(1)(a), III(1)(b), III(1)(c), III(1)(d) and III(1)(e) of Part 'A' and registered on or after the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2000 shall not be less than Rupees 5000.00 :

Provided further that the rate of tax in respect of all motor vehicles driven by petrol shall be double of the rates specified against Articles I, II and III of this Part except in respect of the following classes of owners, namely:-

(a) an individual;

(b) a Municipal Council, Municipal Corporation, Zila Panchayat, Nagar Panchayat or Kshetra Panchayat:

(c) a University established by or under any law;

(d) any recognised educational institution;

(e) any public charitable trust;

(f) any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notifications :

Provided also that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by diesel shall be double of the rates specified against Articles I, II and III of this part.

PART "C"

Rates of tax (other than one time tax) under proviso to sub-section (1) of section 4.

Serial No.	Vehicles according to the Articles of Part 'A'	Annual rate of Tax (in rupees)
1	2	3
1.	I(1)	90.00
2.	I(2)	150.00
3.	II(1)	500.00
4.	II(2)	55.00
5.	III(1)(a)	528.00
6.	III(1)(b)	748.00
7.	III(1)(c)	1034.00
8.	III(1)(d)	1210.00
9.	III(1)(e)	1210.00 plus Rs. 484.00 for every 10,000 kilograms or part thereof in excess of 5,000 kilograms.
10.	III(2)	110.00

Provided that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by petrol shall be double of the rates specified in articles I and II and III of this Part except in respect of the following classes of owners, namely:-

(a) an individual;

(25)

(b) a Municipal Council, Municipal Corporation, Zila Panchayat, Nagar Panchayat or Kshetra Panchayat ;

(c) a University established by or under any law ;

(d) any recognised institution ;

(e) any public charitable trust ;

(f) any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notification ;

Provided further that the rates of tax in respect of all motor vehicles driven by diesel shall be double of the rates specified against articles I, II, and III of this Part."

Amendment of
the Second
Schedule

4. In the second schedule to the principle Act, for Part-A and Part-B the following Parts shall be substituted, namely:—

PART "A"

Rates of refund of one time tax under sub-section (3) of section 12.

Serial No.	Vehicles according to the Articles of Part 'A' of the First Schedule	Amount to be refunded for each month of non-use of the motor vehicle (in rupees)
1	2	3
1.	I(1)	3.00
2.	I(2)	5.00
3.	II(1)	20.00
4.	II(2)	2.00
5.	III(1) (a)	24.00
6.	III(1) (b)	34.00
7.	III(1) (c)	47.00
8.	III(1) (d)	55.00
9.	III(1) (e)	55.00 plus Rs. 22.00 for every 1000 kilograms or part thereof in excess of 5000 kilograms
10.	III(2)	5.00

Provided that the rates of refund shall be double of the amounts specified above in respect of all vehicles in respect whereof tax at double rate has been paid under the provisions to Part 'B' of the First Schedule.

